रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269644
CG-DL-E-29012026-269644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, बुधवार, 28 जनवरी, 2026/माघ 8, 1947
No. 370] NEW DELHI, WEDNESDAY, 28 JANUARY, 2026/MAGHA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2026

का.आ. 398(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु में निम्नलिखित ट्रेलरों के पंजीकरण जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार और आकार इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है:

अनुसूची

1. ट्रेलरों का प्रकार: फ्लैट बेड सेमी ट्रेलर

2. स्वामित्व : मैसर्स चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा। लिमिटेड

3. विनिर्मितकर्ता: मैसर्स वी.एस. ट्रेलर्स

4. ट्रेलरों की संख्या: दो

5. ट्रेलर का विवरण: फ्लैट बेड सेमी ट्रेलर जिसका विवरण निम्नलिखित है: -

क्र.सं.	चेसिस संख्या	धुरियों की संख्या और मॉडल संख्या	टायरों की सं. विवरण,आकार	आयाम (मिमी में) (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई)	अलादन भार (किलोग्राम में)	प्रति धुरी पंक्ति अधिकतम भार (किलोग्राम में)	सकल भार (किलोग्राम में)
1.	वीएसटीएसएफबीके24001	3 धुरी एवं; एचएमवी ट्रेलर-3एफबी	10.20 x पीआर 16- प्रत्येक धुरी में 4 टायर।	22870 x 2500 x 1760	13390	18,000	55,000
2.	वीएसटीएसएफबीके24002						

6. ट्रेलरों के उपरोक्त विनिर्देश इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर, हरियाणा द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट संख्या सीडीओवीयू 1719 दिनांक 14.10.2025 के अनुसार हैं।

7. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है कि:-

i. ट्रेलर को अलग-अलग पंजीकृत किया जाएगा,इसे संयोजन के रूप में पंजीकृत नही किया जाएगा ।

ii. वाहनों का संचालन संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदन, सूचना और जानकारी के साथ केवल संयम और सुरक्षित रूप से किया जाएगा।

iii. वाहनों पर सभी खतरे के झंडे और लाइटें लगी होनी चाहिए, अधिमानतः वाहनों के आगे और पीछे एक वाहन होना चाहिए जो साफ़-साफ़ दिखाए कि भारी सामान गुज़र रहा है।

iv ट्रैलरों की संपूर्ण चैड़ाई में अगले एवं पिछले भाग पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके। इसके अलावा पूरे ओवरहैंग को रात के समय ओवरहैंग की स्पष्ट दृष्टि की सुविधा के लिए एक लाल परावर्तक / परावर्तक टेप के साथ कवर किया जाएगा।

v. लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी

vi. ट्रेलर के आवागमन की योजना के बारे में संबंधित कार्यकारी अभियंताओं को कम से कम दस दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए और उनकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

vii. यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग /भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालियों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी।

viii . उन्हें विशाल आकार के कार्गो को देखते हुए मार्ग में संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एक विशेष मार्ग पर जाने से पहले हर बार अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए, संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाएगा।

ix. उन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निर्धारित गति सीमाओं का पालन करना होगा।

x. उक्त वाहनों को यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी अवरोध के ले जाया जाएगा।

xi. सड़क पर आवाजाही के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 25 किमी/घंटे से अधिक नहीं होगी।

xii. वाहन का स्वामी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां ट्रेलरों के आवागमन के कारण सड़कों या सड़क संरचनाओं/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं /व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान होता है।

xiii. वाहन का स्वामी ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि भारतीय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

xiv. वाहन का स्वामी ऐसे वाहनों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा।

xv. पंजीकरण प्रमाणपत्र में एक विशिष्ट प्रविष्टि की जाएगी कि प्रत्येक आवाजाही के मामले में ट्रेलर स्वामी को संबंधित प्राधिकारी अर्थात राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।

xvi. ट्रेलरों का उपयोग विशेष रूप से वंदे भारत ट्रेन कोचों के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल आकार के माल प्रेषण के परिवहन के उद्देश्य से किया जाएगा, इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिवहन नहीं किया जाएगा।

8. ट्रेलर केवल केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 47 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने और बिक्रय दस्तावेजों (चालान, सभी करों के भुगतान का प्रमाण आदि) के प्रस्तुतिकरण के अध्यधीन तमिलनाडु राज्य में पंजीकृत किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/72/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2026

S.O. 398(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval to the registration in Tamil Nadu of following trailers with maximum safe laden weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto:

SCHEDULE

1. Type of Trailers: Flat Bed Semi Trailer

2. Owned by: M/s Chennai Radha Engineering Works Pvt. Ltd.

3. Manufactured by: M/s V.S. Trailers

4. No. of Trailers: Two

5. Description of Trailer: Flat Bed Semi Trailer having following details:-

Sl. No	Chassis No.	No. of Axles & Model No	No., Description, Size of tyres	Dimension (in mm) (Length × Width × Height)	Unladen Weight (in Kg)	Maximum weight Per Axle Line (in Kg)	Gross Weight (in Kg)
1.	VSTSFBK24001	3 Axle & HMV TRAILER-3FB	10.20 x PR 16-4 tyres in each axle	22870 x 2500 x 1760	13390	18,000	55,000
2.	VSTSFBK24002						

6. The above specifications of the trailers are as per the Test Report No. CDOVU 1719 dated 14.10.2025 submitted by International Centre for Automotive Technology, Manesar, Haryana.

7. The above relaxation is subject to the conditions that:—

i. The trailer shall be registered individually and not as a combination.

ii. The operation of the vehicles shall be done only sparingly and safely with all necessary statutory approval, information and knowledge of concerned Authorities and Stakeholders.

iii. The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

iv. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang at night time.

v. Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained every time the vehicles are put on the roads. Each of such movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.

vi. The program of the movement of the trailer should be intimated at least ten days in advance to the Executive Engineers concerned and their clearance obtained.

vii. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.

viii. They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India en route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

ix. They would adhere to the speed limits prescribed by the authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India.

x. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 25 km/hour.

xii. The owner of the vehicle would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.

xiii. The owner of the vehicle will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.

xiv. The owner of the vehicle will give advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/Union Territory Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.

xv. A specific entry in Registration Certificate is to be made that the trailer owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e. State Govt./Union Territory Govt./National Highway Authority of India.

xvi. The trailers shall be exclusively used for the purpose of transportation of essential oversized consignments for fabrication of Vande Bharat Train Coaches and not for any other purpose.

8. The trailer shall be registered in the State of Tamil Nadu only subject to fulfillment of conditions laid down under Rules 47 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents (invoice, proof of payment of all taxes etc).

[F.No. RT-11036/72/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.29 16:24:43 +05'30'